



क्रमांक 726 /बै.प्र./एपीडीएमबी/2023

बिलासपुर, दिनांक : 16.10.2023


कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 62/विकास/2021 बिलासपुर दिनांक 22.09.2021 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 48(2) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

1. **48(2)(10) विद्यापरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट छह शिक्षक, जिसमें प्रत्येक स्तर से कम से कम एक शिक्षक हों**
 1. डॉ० भुवना वेंकटरमन, सह-आचार्य, वाणिज्य विभाग
के स्थान पर
डॉ० गौरी त्रिपाठी, सह-आचार्य, हिन्दी विभाग
 2. डॉ० सन्तोष सिंह ठाकुर, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग
के स्थान पर
श्रीमती श्वेता सिंह, सहायक आचार्य, मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद अथवा अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के कार्यकाल जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार,



कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 727 /बै.प्र./एपीडीएमबी/2023

बिलासपुर, दिनांक : 16.10.2023

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कुलसचिव (कार्यवाहक)